

दिल्ली में लागू संस्था संजीकरण अधिनियम, 1860 (पंजाब अधिनियम)

अधिनियम, 1957 के अधीन संजीकरण का प्रमाण पत्र:-

S/7229

1974

प्रमाणित करता है कि

LakshmiPat Singhania
Education Foundation

को संख्या दिल्ली राज्य संघ में लागू संस्था संजीकरण अधिनियम सं. 1860 (पंजाब अधिनियम) अधिनियम 1957 के अधीन आज की तारीख में संजीकृत कर लिया गया है।

यह पत्र हस्ताक्षर के अधीन आज दिनांक: 31st July 1974

को दिल्ली पते पर जारी किया गया।

50/- रुपये का मूल्यमान वाला पत्र।



Bheekman
रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज,
दिल्ली प्रशासन,
दिल्ली।

संयोजित

